

पत्रांक: 10/वै-640 349/

बिहार सरकार

मानव संसाधन विकास विभाग

प्रेषक :

उदय कुमार सिंह  
सरकार के उप सचिव  
मानव संसाधन विकास विभाग, बिहार।

रेता में,

अध्यक्ष,  
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड,  
शिक्षा केंद्र, 2 कम्युनिटी सेक्टर,  
नई दिल्ली-110092।

पटला, दिनांक 03/06/09

विषय :

बी०एल० इंडो ऐंगिलयन पब्लिक स्कूल, रामपुर ठोला, धनहरा, औरंगाबाद को सी०बी०एस०ई०  
नई दिल्ली से संबद्धता हेतु अनापति प्रभाग पत्र विर्गत करने के संबंध में।

महाशय,

उपरोक्त विषय के संबंध में निदेशानुसार सूचित करना है कि सरकारी अधिसूचना संख्या-238, दिनांक 03-04-2006 के आलोक में जिला शिक्षा पदाधिकारी, औरंगाबाद से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन एवं विद्यालय प्रबंधन के द्वारा उपलब्ध कराये गये कागजात की समीक्षा विभागीय समिति द्वारा दिनांक 06-01-2009 की बैठक में की तथा बी०एल० इंडो ऐंगिलयन पब्लिक स्कूल, रामपुर ठोला, धनहरा, औरंगाबाद को सी०बी०एस०ई०, नई दिल्ली से संबद्धता हेतु अनापति प्रमाण पत्र विर्गत करने की अनुशंसा की गई है। समीक्षोपरावृत्त रिप्प्टि निम्नलिख्य है-

1. यह बी० एल० इंडो ऐंगिलयन एजुकेशन ट्रस्ट के अधिन संचालित है। इस सोसाइटी / ट्रस्ट में किसी एक सदस्य व्यक्ति / परिवार का प्रभुत्व नहीं है। सोसाइटी के प्रत्येक सदस्य का ब्यौरा दिया गया है तथा शपथ पत्र भी दिया गया है।
2. विद्यालय किसी अन्य निर्बंधित सोसाइटी / व्यास के फ्रेन्चाईजी अथवा किसी विद्यालय के ब्रांड नाम का उपयोग नहीं करने का दावा शपथ पत्र भी दिया गया है।
3. विद्यालय को सोसाइटी के द्वारा 3 एकड़ 8 डिंजीन उपलब्ध कराई गई है। विद्यालय को पर्याप्त उपकरण पुस्तकालय एवं प्रयोगशाला भी उपलब्ध है। केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जो स्थल निरीक्षण कर यह सुनिश्चित करना हो कि विद्यालय की आधारभूत संरचना एवं सुविधाएं बोर्ड के मानक अनुरूप हैं।
4. विद्यालय में शिक्षक की विद्युक्ति समाचार पत्रों में विज्ञापन निकालकर विहित प्रक्रिया द्वारा करने का दावा किया गया है, परन्तु ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिसमें यह स्पष्ट हो कि विद्युक्ति में विहित प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए पारदर्शिता बरती गई है। या नहीं स्पष्ट नहीं है। विद्यालय में शिक्षक हैं। सी०बी०एस०ई०, नई दिल्ली को यह सुनिश्चित करना होगा कि शिक्षकों की योग्यता प्रशिक्षण यांत्रिय अध्यापक शिक्षा परिषद के मापदंडों के अनुरूप है।
5. विद्यालय में हिन्दी अनिवार्य रूप से पढ़ाये जाने का दावा किया गया है।
6. विद्यालय द्वारा निर्धारित शिक्षण शुल्क, प्रोसेप्टस के माध्यम से विद्यालय सूचना पट से छात्रों को सूचना देकर अभिभावकों को सूचना देकर की जाती है। विद्यालय में अभिभावक गोष्ठी आयोजित की जाती है। विद्यालय द्वारा निर्धारित शुल्कों, वार्षिक लेखा अंकेक्षण तथा दार्जेक प्रतिवेदन प्रतिवर्ष सार्वजनिक किया जाता है।
7. विद्यालय के द्वारा लिखित रूप से सहमति दी गयी है कि उसे विभागीय अधिसूचना संख्या-238, दिनांक 03-04-2006 में उल्लेखित अपेक्षित शर्तों स्वीकार है। अपेक्षित शर्तों के अनुसार :-

- (i) विद्यालय में क्षमता का 25 प्रतिशत नामांकन पड़ोस में निवास करने वाले परिवार के बच्चों का निःशुल्क किया जायेगा तथा उनसे ट्र्यूशन शुल्क अथवा किसी अन्य प्रकार का शुल्क नहीं लिया जायेगा। ऐसे दलों की श्रेणी में अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, विकलांग खालेकाएं तथा सामाज्य श्रेणी के परिवार जिनकी आय अधिकतम 60,000/- (साठ हजार रुपये) प्रतिवर्ष होंगे।
- (ii) विद्यालय में नर्सरी / के.जी. अथवा प्राथमिक कक्षा में नामांकन के लिए किसी तरह की प्रवेश परीक्षा / साप्ताहिक (बच्चों एवं माता / पिता सहित) नहीं लिया जायेगा। अगर नामांकन के लिए ड्रॉबद्ध निर्धारित न्रमता से अधिक हो तो खुले तरीका से Draw of Lots के माध्यम से नामांकन के लिए बच्चों का चयन किया जायेगा।
- (iii) नर्सरी / के.जी. तथा प्राथमिक कक्षाओं के लिए प्रवेश लेने वाले बच्चों का विद्यालय से आवास की दूरी अधिकतम एक किलोमीटर एवं उच्च प्राथमिक एवं माध्यमिक कक्षा में नामांकन हेतु अधिकतम दूरी 3 किलोमीटर तक रहेगी।
- (iv) जिन बच्चों का नामांकन नहीं होता है उनसे ली गई आवेदन शुल्क की राशि का 80 प्रतिशत राशि वापस लौटाने की व्यवस्था होगी।

8. यद्यपि कि विद्यालय का निरीक्षण विभागीय पदाधिकारियों के द्वारा किया गया है, फिर भी केवल विद्यालय के अधिकारी एवं अपने स्तर से जाँच कर यह सुनिश्चित हो लें कि विद्यालय उसके नियांसित मापदण्ड के आधार पर संचालित है।

9. साथ ही बोर्ड को यह सुनिश्चित करना होगा कि संबंधित विद्यालय के द्वारा अपनी सहमति के अनुसार अनिवार्य एवं अपेक्षित शर्तों का अनुपालन किया जा रहा है। स्कूल को यह शर्त सार्वजनिक करवी होगी तथा इसका उल्लेख को प्रोस्योक्टस एवं वेबसाईट में करना होगा। शर्तों के उल्लंघन की दियति में अनापत्ति प्रमाण-पत्र वापस ले लिया जायेगा तथा सम्बद्धन रद्द करने की कार्रवाई की जायेगी।

10. विभागीय पत्रांक-46, देनांक 18-01-2008 द्वारा शिक्षक / अन्नों को शार्टर्टिक द्वाट नहीं दिया जाने संबंधी आदेशों का विद्यालयों द्वारा पालन करना होगा।

11. विद्यालय बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के नियंत्री पदाधिकारी के द्वारा निरीक्षण हेतु किसी भी समय खुला रहेगा।

12. उपरोक्त तथ्यों के आलोक में तथा वर्णित शर्तों के आधार पर बी०एल० इंडो ऐंगिलियन पब्लिक स्कूल, रामपुर ठोला, धनहरा, औरंगाबाद को केवल माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र दी जाती है।

विश्वासभाजन,

अनुलग्नक :- जिऽशि०पदा०, औरंगाबाद  
से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन।

ह०/  
(उदय कुमार सिंह)  
सरकार के उप सचिव

मानव संसाधन विकास विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :.....३५७...../

पटना, दिनांक ०३/०८/०७

प्रतिलिपि : प्राचार्य, बी०एल० इंडो ऐंगिलियन पब्लिक स्कूल, रामपुर ठोला, धनहरा, औरंगाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

  
(उदय कुमार सिंह)  
सरकार के उप सचिव